391
403

RBE No. 92/2000
SC No.13 to MC No.31

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(Railway Board)

No.E(NG)I/98/PM1/43 New Delhi, dated 22 .5.2000

The General Managers,
All Indian Railways &
Production Units
(As per standard list).

Sub:-Constitution of Selection Boards for promotion of Group 'C' staff – Amendment to Indian Railway Establishment Manual, Volume-I (1989 Edition).

In terms of Para 217 (b) of IREM Vol. I, (1989 Edition) Selection Boards for making recommendation for promotion of Group 'C' staff, are required to be constituted under the orders of General Managers or HOD or other competent authority not lower than a Divisional Railway Manager.

2. It has been represented to this Ministry that the above provisions inter-alia result in delay in disposal of matters especially in cases where rectification of a panel is called for and the matter necessarily requires reference to the Zonal HQ office. The matter has been considered by the Ministry of Railways who have decided that henceforth Additional Divisional Railway Managers (ADRMs), who are in Senior Administrative grade and Chief Workshop Managers may also be authorised to constitute Selection Boards.

3. The Indian Railway Establishment Manual may ,therefore,be amended as in the ACS No. 107 enclosed.

(This also disposes of Western Rly's letter No.EP.1025/15/Vol.II dated 29.9.98, ICF's d.o. letter No.PB/CON/86R/Vol.III dated 12.2.2000, N.E.Rly.'s letter No.E/254/2 /Pt.12 /IV dated 24.2.2000 and SE Rly.'s letter No.P/R/14/314/3/Policy/Pt.4 dated 21.2.2000)

Please acknowledge receipt.

(J.S.Gusain)
Joint Director Estt.(N)
Railway Board.

DA:ACS No.107

.....2/-

No. E(NG)I-98/PM1/43 New Delhi, dated 22-5-2000

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All India Railwaymen Federation, 253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).

2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E (with 35 spares).

3. All Members, Departmental Council and National Council and secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).

4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No. 256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

for Secretary / Railway Board.

Copy to:-

PSs to MR,MSR(B),MSR(D)
PPSs to CRB, FC,MS,MM,MT,ML,ME.
PPSs to_AM(S),DG/RHS,DG/RPF

PSs to EDE,EDV,EDE(N),EDE(Res),EDA,EDE(IR),EDE(RRB) EDPCI&II,D(MPP),DPC,DE(Res),JDE(R) I&II,JDE(Rep),JDE(D&A), JDPC,JDE(L),DDE(R)I&II,DD(Code Revision), DDE(LR)I, JDE(N)II, DDE(N)-II,E(NG)II,E(O)III,E(GR)II,E(Rep)I, II&III, E(SCT)I&II, E(MPP),SEC(E), PR Branch,E(G) with two spares, AC-III(with 15 spares), Code Revision Cell (with 5 spares).

.....

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL VOLUME-I
(1989 EDITION)
ADVANCE CORRECTION SLIP No.107

Chapter-II, Section-B – Rules governing promotion of Group 'C' staff.

In para 217:-

Substitute the following for the existing sub-para (b):-

> "Selection Boards may be constituted under the orders of the General Manager or Head of the Department or other competent authority not lower than a Divisional Railway Manager/ Additional Divisional Railway Manager/Chief Workshop Manager."

(Authority: Ministry of Railway's letter No.E(NG)I/98/PM1/43 dated 22 .5.2000)

.....

आर बी ई सं. 92/2000
एस सी सं. 13 से एम सी सं. 31

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एन जी)1/98/पी एम1/43 नई दिल्ली, दि.22.5.2000

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें तथा
उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- समूह "ग" कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए चयन बोर्ड का गठन- भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1(1989 संस्करण) में संशोधन.

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1(1989 संस्करण) के पैराग्राफ 217(ब) के अनुसार समूह "ग" कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु सिफारिश करने के लिए चयन बोर्डों का गठन महाप्रबंधकों या विभागाध्यक्षों या अन्य सक्षम प्राधिकारियों जो मंडल रेल प्रबंधक के ओहदे से कम के अधिकारी न हों, के आदेशों के अधीन किया जाना अपेक्षित है.

2. इस मंत्रालय को यह अभिवेदन किया गया है कि उपर्युक्त उपबंधों से अन्य बातों के साथ-साथ मामलों के निपटान में विलंब होता है विशेषतया उन मामलों के निपटान में जहां किसी पैनल में संशोधन किया जाना आवश्यक होता है तथा उस मामले में जहां जोनल मुख्यालय कार्यालय से सूचना मंगानी आवश्यक होती है. इस मामले पर रेल मंत्रालय ने विचार किया है तथा यह विनिश्चय किया है कि अब से वे अपर मंडल रेल प्रबंधक, जो वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में है, तथा मुख्य कारखाना प्रबंधक भी चयन बोर्डों का गठन करने के लिए प्राधिकृत हैं.

अत: भारतीय रेल स्थापना नियमावली, में संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 107 के अनुसार संशोधन किया जाए.

(इससे पश्चिम रेलवे के दि. 29.9.98 के पत्र सं. ई पी 1025/15/वाल्यूम III, सडिका के दि. 12.2.2000 के अ.शा. पत्र सं. पी डी/कॉन/86आर/वाल्यूम III, पूर्वोत्तर रेलवे के दि. 24.2.2000 के पत्र सं. ई/254/2/पार्ट 12/IV तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के दि. 21.2.2000 के पत्र सं. पी/आर/14/314/3/पॉलिसी/पार्ट4 का निपटारा हो जाता है.

कृपया पावती दें.

(जे. एस. गुलाटी)
संयुक्त निदेशक, स्थापना(अराज.)
रेलवे बोर्ड.

संलग्न: अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 107

....2/-

सं. ई(एन जी)I-98/पी एम I/43 नई दिल्ली, दि. 22. 5. 2000

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित:-

1. महासचिव, आल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन, 253, रेल भवन, नई दिल्ली. (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं. 256 ई रेल भवन. (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

3. विभागीय परिषद् तथा राष्ट्रीय परिषद् के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, I3-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली. (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन कमरा नं. 256 ए, रेल भवन, नई दिल्ली. (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली. (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

रेलमंत्री, रेल राज्य मंत्री(वी), रेल राज्य मंत्री(डी) के निजी सचिव, अध्यक्ष रे.बो. वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य यांत्रिक, सदस्य यातायात, सदस्य बिजली, सदस्य इंजीनियरी के प्रमुख निजी सचिव तथा अन्य.

----3

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I (1989 संस्करण)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 107

अध्याय II, खंड-ख-समूह "ग" कर्मचारियों की पदोन्नति को शासित करने वाले नियम

पैराग्राफ 217 में:-

मौजूदा उप पैरा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:-

"चयन बोर्डों का गठन महाप्रबंधक या विभागाध्यक्ष या अन्य सक्षम प्राधिकारी जो मंडल रेल प्रबंधक/अपर मंडल रेल प्रबंधक/मुख्य कारखाना प्रबंधक के ओहदे से कम का अधिकारी न हो, के आदेशों के अधीन किया जाए."

(प्राधिकार: रेल मंत्रालय का दि.22.5.2000 का पत्र सं. ई(एन जी)I/98/पी एम I/43)

xxx